

दसिंबर 2022

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

- **वित्त**
 - IRDAI (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) वनियम, 2022
- **ऊर्जा**
 - ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) वधियक, 2022
- **वदिशी मामले**
 - समुद्री डकैती वरिधी वधियक, 2019
 - भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति
- **खाद्य एवं सारवजनिक वतिरण**
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम (NFSA), 2013
- **महला एवं बाल वकिस**
 - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नयिम, 2022
- **खनन**
 - मसौदा भू-वरिसत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) वधियक, 2022
- **स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण**
 - डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना
- **खेल**
 - वकिलांग खलाडियों हेतु खेल केंद्रों को सुगम बनाने हेतु दशिा-नरिदेश
- **रेलवे**
 - अमृत भारत स्टेशन योजना

वित्त

IRDAI (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) वनियम, 2022

- **भारतीय बीमा वनियामक और वकिस प्राधकिरण** (Insurance Regulatory and Development Authority of India- IRDAI) ने IRDAI (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) वनियम, 2022 को अधसूचित कया ।
 - वनियम भारतीय बीमा कंपनियों के पंजीकरण की प्रक्रया को सरल बनाने और व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं ।
 - वे बीमा वनियामक और वकिस प्राधकिरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) वनियम, 2000, और बीमा वनियामक और वकिस प्राधकिरण (बीमा कंपनियों के इक्वटी शेयरों का हस्तांतरण) वनियम, 2015 को नरिस्त करते हैं ।

2022 के वनियमों की प्रमुख वशिषताएँ नमिनलखित हैं:

- **अनुमत बीमा व्यवसाय:** ये वनियम बीमा व्यवसाय के कुछ वर्गों के लयि नरिधारत हैं जसके तहत पंजीकरण हेतु आवेदन कया जाना चाहयि । इनमें शामिल हैं:
 - (i) जीवन बीमा
 - (ii) सामान्य बीमा
 - (iii) स्वास्थ्य बीमा
 - (iv) पुनर्बीमा
- **एक आवेदक पंजीकरण के लयि आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होगा, यद**
 - (i) पछिले दो वत्तीय वर्षों के दौरान IRDAI द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन को खारजि कर दया गया है या आवेदक द्वारा आवेदन वापस ले लया गया है ।

(ii) पछिले दो वत्तीय वर्षों के दौरान पंजीकरण का प्रमाण पत्र IRDAI द्वारा रद्द कर दिया गया है।

(iii) आवेदक के नाम में बीमा, आश्वासन या पुनर्बीमा शब्द नहीं है।

■ **वदिशी नविश:**

- यदि एक **भारतीय बीमा** कंपनी के पास वदिशी नविश है, तो इसके अधिकांश नदिशक और प्रमुख प्रबंधन व्यक्त और इसके अध्यक्ष, प्रबंध नदिशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी में से कम-से-कम एक नविशी भारतीय नागरिक होना चाहिये।
- यदि वदिशी नविश 49% से अधिक हो जाता है, तो शुद्ध लाभ का कम-से-कम 50% सामान्य रज़िर्व में रखा जाएगा।
- यह एक वत्तीय वर्ष में कथिया जाना चाहिये जब इक्वटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान कथिया जाता है या सॉल्वेंसी मार्जिन (देयताओं से अधिक संपत्ति) सॉल्वेंसी के न्यंत्रण स्तर (IRDAI द्वारा नरिधारति) के 1.2 गुना से कम है।
- 49% से अधिक वदिशी नविश वाली बीमा कंपनियों के लिये बोर्ड में कम-से-कम आधे स्वतंत्र नदिशक होने चाहिये। यदि अध्यक्ष एक स्वतंत्र नदिशक है, तो शेष नदिशकों में से कम-से-कम एक-तहिई को स्वतंत्र होना चाहिये।

ऊर्जा

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) वधियक, 2022

[ऊर्जा संरक्षण \(संशोधन\) वधियक, 2022](#) को संसद ने पारति कर दिया है। वधियक [ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001](#) में संशोधन का प्रयास करता है।

- अधिनियम ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसमें घरेलू उपयोग के उपकरणों, भवनों तथा उद्योगों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के वनियमन का प्रावधान है।

वधियक के मुख्य प्रस्तावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

■ **ऊर्जा के गैर-जीवाश्म स्रोतों का उपयोग करने की बाध्यता:**

- अधिनियम केंद्र सरकार को ऊर्जा उपयोग के मानकों को नरिदषिट करने का अधिकार देता है। वधियक इसमें यह जोड़ता है कि सरकार किसी नरिदषिट उपभोक्ता से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह ऊर्जा की खपत का एक न्यूनतम हिससा गैर-जीवाश्म स्रोत से प्राप्त करे।
- अलग-अलग गैर-जीवाश्म स्रोतों और उपभोक्ताओं की श्रेणियों के लिये उपयोग की अलग-अलग सीमाएँ नरिदषिट की जा सकती हैं।
- **नरिदषिट उपभोक्ताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:**
 - (i) खनन, इस्पात, सीमेंट, टेक्सटाइल, रसायन और पेट्रोरसायन जैसे उद्योग।
 - (ii) रेलवे सहति परविहन कषेत्र।
 - (iii) व्यावसायिक इमारतें, जैसा कि अनुसूची में नरिदषिट है।
- गैर-जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा के उपभोग की बाध्यता पूरी न करने की स्थिति में 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की सज़ा होगी।
- नरिधारति मानदंड से कतिनी अधिक यूनिट ऊर्जा की खपत की गई। उतने ही यूनिट तेल की जो कीमत होगी, उसका दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।

■ **कार्बन ट्रेडिगि:**

- वधियक केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिगि योजना नरिदषिट करने का अधिकार देता है।
- कार्बन क्रेडिट का तात्पर्य कार्बन उत्सर्जन की नरिदषिट मात्रा का उत्पादन करने के लिये एक व्यापार योग्य परमिट से है।
- केंद्र सरकार या कोई अधिकृत एजेंसी इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत और उसका अनुपालन करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी कर सकती है।
- संस्थाएँ प्रमाणपत्र को खरीदने या बेचने के लिये अधिकृत होंगी।
- कोई अन्य व्यक्ता भी सवेच्छा से कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र खरीद सकता है।

■ **इमारतों के लिये ऊर्जा संरक्षण संहति:**

- यह अधिनियम केंद्र सरकार को इमारतों के लिये ऊर्जा संरक्षण संहति नरिदषिट करने का अधिकार देता है जो कषेत्र के संदर्भ में ऊर्जा खपत मानकों को नरिधारति करता है।
- वधियक इसमें संशोधन करके 'ऊर्जा संरक्षण और टिकाऊ भवन संहति' का प्रावधान करता है।
- यह नई संहति ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण, अक्षय ऊर्जा के उपयोग और हरति भवनों की अन्य आवश्यकताओं से संबंधति नयिओं का प्रावधान करेगी।

वदिशी मामले

समुद्री डकैती वरिधी वधियक, 2019

- [समुद्री डकैती वरिधी वधियक](#), 2019 को संसद में पारति कर दिया गया।
- यह वधियक समुद्री डकैती के लिये अभियोजन का प्रावधान करता है और 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) की पुष्टि करता है, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता है।

वधियक के प्रमुख प्रावधान नमिनलखिति हैं:

- **प्रादेशिक कषेत्राधिकार:**

- वधियक उच्च जल कषेत्र पर लागू होगा जसिमें भारत के कषेत्रीय जल के बाहर का कषेत्र आता है ।
- कषेत्रीय जल भारत की तटसीमा से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है ।
- यह भारत के अनन्य आर्थिक कषेत्र की सीमाओं से सटे और उससे परे समुद्र (यानी समुद्र तट से 200 समुद्री मील से परे) के सभी हसिों पर लागू होगा ।

■ डकैती:

- यह समुद्री डकैती को एक नजि जहाज़ या वमिन के चालक दल या यात्रियों द्वारा नजि उद्देश्यों के लयि कसिी जहाज़, वमिन, व्यक्तया संपत्ति के खलिाफ की गई हसिा, हरिसत या वनिाश के कसिी भी अवैध कार्य के रूप में परभाषति करता है ।
- इसमें अनय गतविधियों भी शामिल हैं जनिहें अंतरराष्टरीय कानून के तहत समुद्री डकैती माना जाता है ।
- डकैती में समुद्री डकैती जहाज़ या वमिन के संचालन में स्वैच्छिक भागीदारी भी शामिल है ।

■ अपराध और दंड:

- डकैती करने पर नमिनलखिति दंड दयि जाएंगे:
 - (i) कारावास, जो कर् उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है या जुरमाना या दोनों ।
 - (ii) मृत्यु या उम्रकैद, अगर डकैती के कृत्य या डकैती की कोशशि में हत्या की कोशशि शामिल है और उसके कारण कसिी की मृत्यु हो जाती है ।

भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति:

वदिशी मामलों से संबंधति स्थायी समतििने 'भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति: संभावनाएँ और सीमाएँ' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । सॉफ्ट पावर को अपील एवं आकर्षण के माध्यम से दूसरों को प्रभावति करने की क्षमता के रूप में परभाषति कयिा जाता है ।

समतिि के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

■ समन्वय समतिि:

- मंत्रालय के अनुसार, वभिनिन मंत्रालयों के कामकाज एक-दूसरे से मलिते-जुलते हैं, जसिसे भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को आगे बढ़ाने में बाधाएँ उत्पन्न पैदा होती हैं । समतििने पहले सुझाव दयिा था कर् वदिशी मामलों के मंत्रालय/ICCR तथा दूसरे मंत्रालयों (जैसे संस्कृति मंत्रालय और शकिषा मंत्रालय) के बीच संस्थागत समन्वय तंत्र स्थापति कयिा जाए । समतििने कहा कर् ऐसा तंत्र स्थापति करने के लयि कोई ठोस कदम नहीं उठाया है ।
- समतििने सुझाव दयिा कर् मंत्रालय की नगिरानी में समन्वय समतिि के गठन से भारत में सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति के लयि ज़मिमेदार मंत्रालयों/वभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चिति होगा ।

■ ICCR का पुनर्गठन:

- **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद** (Indian Council for Cultural Relations- ICCR) वदिश मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त नकिय है । इसका काम भारत के बाहरी सांस्कृतिक संबंधों से जुड़ी नीति और कार्यक्रमों का प्रतपिादन और उनका कार्यान्वयन करना है ।

■ मंत्रालय ने कहा कर् कोवडि-19 महामारी के कारण ICCR के पुनर्गठन के काम में वलिंब हुआ ।

- समतििने कहा कर् भारतीय संस्कृति को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लयि यह आवश्यक है कर् ICCR की संरचना और उसके कामकाज की पूरी तरह से रीमॉडलिंग की जाए । समतििने सुझाव दयिा कर् वदिश मंत्रालय को ICCR के पुनर्गठन को अंतिम रूप देना चाहयि ।
- उसने सुझाव दयिा कर् पुनर्गठन का ब्लूपरटि तीन महीने के भीतर समतिि को प्रस्तुत कयिा जा सकता है ।
- मंत्रालय ने कहा था कर् ICCR का बजटीय आवंटन पर्याप्त नहीं था । समतििने गौर कयिा कर् दूतावासों और सांस्कृतिक केंद्रों की मौजूदा मांग को पूरा करने के लयि ICCR को 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, अतः यह सफिरशि की गई कर् केंद्र सरकार को ICCR के बजटीय आवंटन में 20% की वृद्धि करनी चाहयि ।
- यह भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति को मज़बूती से बढ़ावा देने में मदद करेगा ।

खाद्य एवं सार्वजनिक वतिरण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम (NFSA), 2013

केंद्रीय मंत्रमिंडल ने **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम (NFSA), 2013** के तहत एक वर्ष के लयि खाद्यान्न के मुफ्त वतिरण को मंजूरी दे दी है । खाद्यान्न का मुफ्त प्रावधान 31 दसिंबर, 2023 तक लागू रहेगा ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम, 2013

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य एक गरमिापूर्ण जीवन जीने के लयि लोगों को वहनीय मूल्यों पर उचिति गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है ।

कवरेज:

- लक्षति सार्वजनिक वतिरण प्रणाली (TPDS) के तहत रयियती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लयि ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और

शहरी आबादी के 50 प्रतिशत का कवरेज किया गया है।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की 81.35 करोड़ आबादी को कवर करता है।

पात्रता:

- राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता वाले परिवारों को TPDS के तहत कवर किया जाना है।
- अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवार।

प्रावधान:

- प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो दिया जाता है।
- हालाँकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रतिपरिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
- 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन की व्यवस्था।
- खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
- ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत नविवरण तंत्र स्थापित करना।

महिला एवं बाल विकास

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नयिम, 2022

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013** के तहत **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMY) नयिम, 2022** को अधिसूचित किया। ये नयिम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग नयिम, 2016 का स्थान लेते हैं। 2022 के नयिम पात्र लाभार्थियों को मातृत्व लाभ को वस्तुतः देने के लिये एक फ्रेमवर्क का प्रावधान करते हैं।

मुख्य विशेषताओं में नमिनलखित शामिल हैं:

- मातृत्व लाभ हेतु पात्रता:**
 - 2016 के नयिमों के तहत 19 वर्ष और/या उससे अधिक आयु की हर गर्भवती महिला और स्तनपान करने वाली माता मातृत्व लाभ की हकदार थी। 2022 के नयिमों के अनुसार, पात्र लाभार्थियों की पहचान करने के मानदंड में ऐसी महिलाएँ शामिल हैं जो:
 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजात की हैं।
 - आंशिक रूप से (40%) वकिलांग या पूर्ण रूप के वकिलांग हैं।
 - BPL राशन कार्ड/ई-शर्म कार्ड/मनरेगा जॉब कार्ड धारक हैं।
 - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी हैं।
 - आठ लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम की शुद्ध पारिवारिक आय वाली हैं।
 - पंजीकरण के बाद सभी पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ दिया जाएगा।
 - केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा नियोजित गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ इन लाभों की हकदार नहीं होंगी।
- लाभार्थियों का पंजीकरण:** 2022 के नयिमों के तहत लाभार्थियों को खुद को नमिनलखित स्थानों पर पंजीकृत कराना होगा:
 - एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत स्थापित आँगनवाड़ी केंद्र।
 - संबंधित राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र।
 - ऑनलाइन।
- मातृत्व लाभ हासिल करने की शर्तें:** 2022 के नयिमों के तहत लाभार्थी को पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए और दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपए प्राप्त होंगे। पहले जीवित बच्चे के लिये मातृत्व लाभ दो कश्तों में प्रदान किया जाएगा, यदा लाभार्थी:
 - गर्भावस्था का पंजीकरण कराती है।
 - अपने पछिले मासिक धर्म चक्र से छह महीने के भीतर कम-से-कम एक प्रसवपूर्व जाँच कराती है।
- दूसरी कश्त बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने और बच्चे को 14 सप्ताह की आयु तक सभी देय टीके लगवाने पर मिलेगी।
- दूसरे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान जन्म का पंजीकरण कराने और बच्चे को 14 सप्ताह की आयु तक सभी देय टीके लगवाने पर एक ही कश्त में किया जाएगा।

खान

मसौदा भू-वरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) वधियक, 2022

खान मंत्रालय ने **मसौदा भू-वरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) वधियक, 2022** अधिसूचित किया है।

मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- **भू-विकास स्थलों की घोषणा:**
 - केंद्र सरकार किसी स्थल को राष्ट्रीय महत्त्व का भू-विकास स्थल घोषित कर सकती है।
 - भू-विकास स्थलों में भूवैज्ञानिक महत्त्व की विशेषताएँ शामिल होनी चाहिये, जैसे कि भू-अवशेष या प्राकृतिक चट्टानों की मूर्तियाँ।
 - भू-अवशेष जंगम अवशेष हैं जैसे कि जीवाश्म या उल्कापडि।
- **भू-विकास स्थलों का संरक्षण:**
 - मसौदा वधियक केंद्र सरकार को भू-विकास स्थलों के अधिग्रहण, संरक्षण और रखरखाव का अधिकार देता है।
 - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक को इस उद्देश्य के लिये सर्वेक्षण और उत्खनन जैसे अधिकार दिये जाएंगे।
 - इन स्थलों पर नरिमाण प्रतर्बिधति रहेगा।
 - हालाँकि महानिदेशक द्वारा अधिकृत किया जा सकता है कि इस स्थल को संरक्षित किया जाए या स्थल घोषित किये जाने से पहले की संरचना की मरम्मत की जाए।
- **भू-अवशेषों का संरक्षण:**
 - केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि जब तक महानिदेशक द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक भू-अवशेष को अपनी साइट से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
 - महानिदेशक इसकी रक्षा के लिये भू-अवशेष के अधिग्रहण का निर्देश दे सकते हैं।
- **अपराध एवं दंड:**
 - वधियक के तहत अपराधों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - (i) भू-विकास स्थल को नष्ट करना, या उसका दुरुपयोग करना।
 - (ii) गैरकानूनी नरिमाण।
 - (iii) किसी भू-अवशेष को नुकसान पहुँचाना या उसे गैरकानूनी तरीके से हटाना।
 - इन अपराधों के लिये 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या 6 महीने तक की कैद या दोनों का प्रावधान है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

डजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना

आयुष्मान भारत डजिटल मिशन (Ayushman Bharat Digital Mission- ABDM) को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने डजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। ABDM प्रत्येक नागरिक को एक समेकित डेटाबेस में अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डजिटली स्टोर करने की सुविधा प्रदान करता है ताकि चिकित्सा उपचार प्राप्त करते समय उसे आसानी से एक्सेस किया जा सके।

योजना के प्रमुख प्रावधान:

- इस योजना के तहत पात्र स्वास्थ्य केंद्रों और हेल्थ सॉल्यूशंस को इस आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा कि उन्होंने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (Ayushman Bharat Health Account- ABHA) में कितने स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स बनाए और लकि किये हैं।
- ABHA संख्या वशिष्ट रूप से किसी व्यक्त के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को चहिनति करती है।
- **पात्रता:**
 - अस्पताल और डायग्नोस्टिक लैब और सुविधाएँ इस योजना के लिये पात्र हैं।
- **प्रोत्साहन राशि:**
 - इस योजना के तहत ABHA से जुड़े लेन-देन की संख्या की एक मासिक सीमा होगी, जिसके अधिक होने पर अस्पतालों या डायग्नोस्टिक केंद्रों को वत्तीय प्रोत्साहन मल्लिगा।
 - उदाहरण के लिये अस्पतालों को प्रतमाह प्रतर्बेड 50 लेन-देन के आधार स्तर से ऊपर प्रतर्लेन-देन 20 रुपए प्राप्त होंगे।
 - डायग्नोस्टिक केंद्रों और लैब्स 500 ABHA लकिड ट्रांजैक्शंस प्रतर्माह के आधार स्तर के अधीन हैं, इससे अधिक होने पर उन्हें हर अतरिकित ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए प्राप्त होंगे।
- इस योजना के तहत स्वास्थ्य केंद्र को अधिकतम प्रोत्साहन राशि चार करोड़ रुपए तक मलि सकती है।
- **वत्तीय परवियय:**
 - इस योजना का अनुमानित प्रारंभिक वत्तीय परवियय 50 करोड़ रुपए है।

खेल

वकिलांग खलिाइयों हेतु खेल केंद्रों को सुगम बनाने हेतु दशिा-नरिदेश

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के खेल वभिाग ने वकिलांग खलिाइयों के लिये सुलभ खेल परसिर और आवासीय सुविधाओं पर दशिा-नरिदेश अधिसूचति कयि है।

दशिा-नरिदेशों के प्रमुख प्रावधान नमिनलखिति हैं:

- दशिा-नरिदेश वकिलांग व्यक्त अधिकार अधनियम, 2016 को प्रभावी बनाते हैं जो केंद्र सरकार के लिये अनविर्य करता है कि वह सार्वजनिक सुविधाओं तक सुगम्यता के मानकों के संबंध में नियम बनाए।
- दशिा-नरिदेशों में खेल सुविधाओं के संरचनात्मक तत्त्व शामिल हैं जिन्हें सुलभ बनाया जाना चाहयि।
 - इनमें ऐसे प्रवेश द्वार शामिल हैं जिनका पता लगाना आसान है, समान और स्पष्ट रूप से पहचानी जाने वाली सीढ़ियाँ और बहुमंजलि इमारतों में

- लफिट शामिल हैं, जो व्हीलचेयर यूज़र्स के अनुकूल होनी चाहिये।
- दशा-नरिदेशों में वशिष्ट मानकों का भी प्रावधान होना चाहिये जैसे दृष्टिबाधित लोगों के लिये संकेत और वशिष्ट खेल उपकरण जैसे- खेल में इस्तेमाल होने वाली लाइटवेट व्हीलचेयर्स।

रेलवे

अमृत भारत स्टेशन योजना

- रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिये अमृत भारत स्टेशन योजना की घोषणा की।

योजना की मुख्य वशिष्टताएँ

- यह योजना चुनीदा स्टेशनों पर नई सुवधिाएँ प्रदान करेगी, साथ ही मौजूदा सुवधिाओं का उन्नयन और प्रतस्थापन भी करेगी।
- यह लंबे समय की मास्टर प्लानगि पर आधारित होगा।
- मास्टर प्लान को ज़रूरत के आधार पर लागू किया जाएगा।
- काम के व्यापक दायरे में नमिनलखिति शामिल होंगे:
 - (i) सड़कों को चौड़ा करके और अनचाहे ढाँचों को हटाकर स्टेशन तक पहुँच में सुधार।
 - (ii) यात्रियों से संबंधित गतविधियों और भवष्य के विकास के लिये स्थान सुनिश्चित करने हेतु सुलभ स्थानों पर रेलवे कार्यालयों को स्थानांतरित करना।
 - (iii) अच्छी गुणवत्ता वाले प्रतीक्षालय बनाना।
 - (iv) प्लेटफॉर्मस पर जल निकासी में सुधार।
 - (v) एग्जीक्यूटिव लाउंज और बज़िनेस मीटगिंस के लिये जगह बनाना।
 - (v) भवष्य में स्टेशनों में रूफ प्लाज़ा और सटी सेंटर का नरिमाण करना।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prs-december-2022>

